



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2021/100

दर्ज तिथि:—15.04.2021

1. श्रवण पुत्र सुगला
2. मूलचन्द पुत्र सुगला
3. बाबूलाल पुत्र सुगला
4. कमली पुत्री सुगला
5. कोयली पत्नी ताराचन्द
6. सियाराम पुत्र ताराचन्द
7. कमलेश पुत्र ताराचन्द
8. रामरस पुत्र ताराचन्द
9. लाली पुत्री ताराचन्द
10. सुमन पुत्री ताराचन्द
11. धापा पुत्री ताराचन्द

समस्त बालिग जातियान कुम्हार निवासीयान गढबसई हाल आबाद झांकडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूसहाय यादव पुत्र कानूराम यादव जाति अहीर निवासी गोवडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... अप्रार्थी



उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता:— श्री बनवारी शर्मा।

अप्रार्थी अधिवक्ता :— श्री संदीप शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128

राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—03.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का दिनांक 17.10.2014 को सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाइश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 17.10.2014 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ—पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की विधिवत तामील करायी गयी। अप्रार्थी ने न्यायलय

में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश से पूर्व रकबा बरारी की रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1056 दिनांक 17.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का अंगारी ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 17.10.2014 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आराजी पर पत्थरगढी किये जाने से पूर्व रकबा बरारी किया जाना आवश्यक है।
4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**111. Decision of disputes as to boundaries.** — (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरो की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। खसरो की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये हैं। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:

**Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-78 वाकै ग्राम गढबसई में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकै ग्राम गढबसई के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 17.10.2014 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 338 एवं खसरा नम्बर 933 के उत्तर-पश्चिम के कोने को मुस्तकिल मानते हुए आराजी खसरा संख्या 335 की चारों मेडों पर जरीब चलाकर मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 के अनुसार उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का आंशिक कब्जा है तथा अप्रार्थी की वाकै ग्राम गुढा चुरानी में स्थित खातेदारी भूमि के खसरो की सीमाओं को लेकर विवाद है तथा इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी

के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। परन्तु भू-अभिलेख निरीक्षक सालेटा की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों की खातेदारी आराजी का राजस्व नक्शे में तितम्मा समानुपातिक रकबे का अंकित नहीं होकर रकबा बरारी अनुसार ज्यादा क्षेत्रफल का अंकित है। इस प्रकार पत्थरगढी से पूर्व रकबा बरारी किया जाना आवश्यक है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत पत्थरगढी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी अपनी-अपनी आराजी की रकबा बरारी आवश्यक रूप से करवाने के पश्चात अप्रार्थी को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

★ यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 03.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)